

**न्यायालय:- चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 भिण्ड (म.प्र.)**  
**(समक्ष : विकाश शुक्ला)**

व्यवहारवाद प्रकरण क्र0 82ए/2015

फाईल. क्र. 230301058562015

संस्थापित दिनांक- 06.11.2015

श्रीमती सीमादेवी पत्नी स्व. रोशनसिंह  
 भदौरिया उम्र-27 वर्ष जाति ठाकुर धंधा  
 कृषि निवासी ग्राम पीपरी वृत्त पीपरी  
 तहसील व जिला भिण्ड

..... वादिया

**वि रु द्ध**

1. श्रीमती सीता भदौरिया उम्र-51 साल पत्नी स्व. इन्द्रपालसिंह भदौरिया धंधा खेती निवासी ग्राम पीपरी वृत्त पीपरी तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0
2. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड

.....प्रतिवादीगण

(// आदेश //)

( आज दिनांक 22.03.2016 को पारित किया गया)

1. यह आदेश आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी का निराकरण करेगा।
2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पीपरी जिला भिण्ड सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टर में से 0.21 आरे (अत्र पश्चात वादग्रस्त भूमि) को वादी ने स्त्रीधन से मृतक रोशन सिंह से 95,500 रुपये में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 के माध्यम से क्रय की और उस पर कृषि कार्य कर रही है। रोशन सिंह शराब पीने का आदी था, जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उसे वश में करके बिना प्रतिफल के वादग्रस्त भूमि का फर्जी बयनामा दिनांक 24.07.2013 को करा लिया। दिनांक 14.8.2015 को प्रतिवादी क्रमांक 1 उसकी पुत्री अर्चना के साथ वादग्रस्त भूमि पर आई और बोली कि इस भूमि पर उसका नामांतरण है, जबकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है। दिनांक 24.8.2013 को प्रतिवादी क्रमांक 1 का नामांतरण भी स्वीकार हुआ है, जिसकी अपील विचारणीय है तथा धारा 145 द.प्र.स. की कार्यवाही भी विचारणीय है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वादी को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने एवं उस पर कब्जा करने की धमकी दी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति

होने की संभावना वादी के पक्ष में है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है कि मामले के निराकरण तक प्रतिवादी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि को न तो विक्रय करे और न ही वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करे। आवेदन के समर्थन में वादी ने स्वयं का शपथ पत्रीय कथन प्रस्तुत किया है।

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने लिखित कथन एवं आवेदन के जवाब में व्यक्त किया है कि उसे ग्राम पीपरी स्थित सर्वे क्रमांक 1420 में रोशन सिंह का क्षेत्रफल 0.21 आरे क्षेत्रफल होना स्वीकार है। वादी ने उक्त सर्वे क्रमांक के अन्य सहखातेदारों की पक्षकार नहीं बनाया है। विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 दिखावटी है, यदि उक्त विक्रय पत्र किया गया होता तो वादी ने नामांतरण कराया होता और रोशन सिंह प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 क्यों निष्पादित करता। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिफल अदा करके वादग्रस्त भूमि को क़य किया है और कब्जा प्राप्त किया है। राजस्व न्यायालय में चली कार्यवाहियों के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि उसने 3,75,000/- रुपये में विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 के माध्यम से क़य की है। वादग्रस्त भूमि पर उसका नामांतरण एवं आधिपत्य है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना वादी के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। आवेदन के जवाब के समर्थन में प्रतिवादी सीतादेवी ने स्वयं का शपथपत्रीय कथन प्रस्तुत किया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 2 एक पक्षीय है।

5. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि—

अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में है?

ब. क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है?

स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो क्या वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?

6. वादी ने शपथपत्रीय कथन में बताया है कि उसने वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 के माध्यम से उसके पति मृतक रोशन सिंह से क़य की है तथा वादग्रस्त भूमि को ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उसके पति रोशन सिंह को शराब पिलाकर वश में करके विक्रय पत्र दिनांक 24.7.2013 निष्पादित करा लिया। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने शपथपत्रीय कथन में बताया है कि विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 दिखावटी है तथा उसने विक्रय पत्र दिनांक 24.7.2013 के माध्यम से 3,75,500 रुपये में वादग्रस्त भूमि को क़य किया है।

7. वादी के द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 की प्रति

के अवलोकन से प्रकट है कि रोशन सिंह ने वादग्रस्त भूमि दिनांक 12.10.2006 को वादी को 95,500 रुपये में विक्रय की है तथा कब्जा कराया है। विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 की प्रति के अवलोकन से प्रकट है कि रोशन सिंह ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 को 3,75,500 रुपये प्रतिफल के एवज में विक्रय की थी। खसरा खतौनी वर्ष 2014-15 की प्रति के अवलोकन से प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि पर अन्य सहखातेदारों के साथ प्रतिवादी क्रमांक 1 का नाम इंद्राज है।

8. विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 एवं 23.7.2013 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रतियां होना प्रकट है। विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी को विक्रय की गई है तथा विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ही प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय की गई है। इस प्रकार जब विक्रेता रोशन सिंह के द्वारा दिनांक 12.10.2006 को विक्रय पत्र वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया तब रोशन सिंह के वादग्रस्त भूमि से संबंधित समस्त हित वादी को अंतरित/प्राप्त हो गये। ऐसी स्थिति में जबकि विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 से यह प्रकट हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि के समस्त हित वादी के पक्ष में अंतरित हो गये हैं, तब विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2013 प्रथम दृष्टया निष्पादित करने का हक रोशन सिंह को प्राप्त नहीं था। जहां तक खसरा खतौनी वर्ष 2014-15 में प्रतिवादी क्रमांक 1 के इंद्राज होने का संबंध है, उक्त इंद्राज भी विक्रय पत्र के आधार पर होना ही प्रकट हो रहा है, क्योंकि उक्त दस्तावेज के कालम नं. 12 में इस तथ्य का उल्लेख है कि विक्रेता रोशन सिंह के स्थान पर सीतादेवी का नाम अंकित किया गया है।

9. वादी के अभिवचन के अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 के मामले से वादी वादग्रस्त भूमि की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 को दिखावटी विक्रय पत्र होना बताया है। इस प्रकार विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 के दिखावटी होने संबंधी प्रश्न का अवधारण उभयपक्ष के साक्ष्य उपरांत ही किया जाना संभव है।

10. वादग्रस्त भूमि पर वादी अथवा प्रतिवादी क्रमांक 1 आधिपत्य होने के संबंध में प्रस्तुत खसरा एवं खतौनी तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से यह प्रकट हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि में अनेक सहखातेदार हैं तथा उभयपक्ष के अभिवचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से भी वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त आधिपत्य की होना प्रकट है और प्रथक से संपूर्ण सर्वे क्रमांक के वादग्रस्त हिस्से पर किसी का आधिपत्य हो, ऐसा अभिवचन एवं दस्तावेजों से इस प्रक्रम पर अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।

11. अतः उपरोक्त के आधार पर विक्रय पत्र दिनांक 12.10.2006 प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित किये जाने के पूर्व वादी के पक्ष में निष्पादित होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में होना पाया जाता है।

12. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना का वादी के पक्ष में होने का संबंध है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है तथा यदि वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त संपत्ति को अंतरित किया जाता है तो निश्चित ही प्रतिवादी की अपेक्षा वादी को अधिक असुविधा होगी एवं व्यर्थ की मुकदमे बाजी बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना को भी वादी के पक्ष में होना पाया जाता है।

13. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने तर्क के दौरान न्याय दृष्टांत जम्बोवती एवं अन्य बनाम मोहितराम एवं अन्य 1991 आर एन 186 प्रस्तुत किया है, परंतु उक्त न्याय दृष्टांत की परिस्थितियां इस प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्याय दृष्टांत के आधार पर प्रतिवादी क्रमांक 1 को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।

14. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी पी सी स्वीकार करते हुये आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 मामले के निराकरण तक ग्राम पीपरी जिला भिण्ड सर्वे क्रमांक 1420 क्षेत्रफल 1.110 हेक्टर में से 0.21 आरे विक्रय न करे।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक— 22.03.2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला)

चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2  
भिण्ड (मध्यप्रदेश)